

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 31/12-18

क्रमांक रीडर/2018/

2366

प्रार्थी
1 राजूसिंह पुत्र
मंगलाराम जाति
जाट निवासी
अलाणियों की ढाणी,
बान्दरा तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 गोमाराम पुत्र डूंगराराम जाति सुथार निवासी अलाणियों की
ढाणी, बान्दरा 2 प्रमीला पत्नी नारायणसिंह जाति जाट निवासी
नेहरू नगर बाड़मेर 3 चेतनसिंह पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी
माडपुरा 4 पदमाराम पुत्र जीवणाराम 5 अणदूदेवी पत्नी जीवणाराम
जाति जाट निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा 6 मलसिंह पुत्र
राणसिंह 7 कमलसिंह पुत्र मेहरसिंह 8 छगनकंवर पत्नी मेहरसिंह
9 लिछमणसिंह 10 मूलसिंह पिसरान अमरसिंह जाति राजपूत
निवासी सांसियों की बस्ती बान्दरा तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर
11 सरपंच ग्राम पंचायत बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-1290/2017

दिनांक- 27.12.2018

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा अलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला
बाड़मेर के खसरा संख्या 988/833 रकबा 22.04 बीघा एवं मौजा सांसियों का तला पटवार
क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 933/839 रकबा 70.02 बीघा भूमि
के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती
है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/12-18

क्रमांक :- रीडर/2018/

2367-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. राजूसिंह पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गोमाराम पुत्र डूंगराराम वगैराह जाति सुथार निवासी अलाणियों की ढाणी, बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर